मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3293
16.12.2024 को उत्तर के लिए

वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का अवैध व्यापार

3293. श्री कंवर सिंह तंवर:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों के अवैध व्यापार में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों के अवैध व्यापार की घटनाएं सरकार के संज्ञान में आई, तथा उक्त व्यापार का मूल्य कितना है;
(ग) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(घ) देश में वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में क्या संस्थागत परिवर्तन किए गए हैं; और
(ङ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में की गई गिरफ्तारियों और जब्त की गई संपत्तियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क), (ख) और (ग) वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के पास उपलब्ध रिकार्डों तथा राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट किए गए और उपलब्ध कराए गए मामलों के आधार पर, पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए वन्य जीव के अवैध व्यापार के मामलों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) अवैध वन्य जीव व्यापार पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

i. वन्य जीवों के बेहतर संरक्षण के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में समय-समय पर संशोधन किया गया है।
ii. वन्य जीव और इनके उत्पादों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है।
iii. वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, इंटरपोल के समन्वय में वैश्विक संचालन में अपनी भागीदारी निभाता है।
iv. वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वन्य जीवन अपराध से निपटने के लिए राज्य पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों सहित प्रवर्तन एजेंसियों के लिए संवेदनशीलता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है।
v. भारत वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी अभिसमय (सीआईटीईएस) का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, जो वन्य जीव और उसके संबद्द अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है।
vi. सीआईटीईएस के प्रावधानों को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में शामिल किया गया है।
vii. वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए 'केन्द्रीय प्रायोजित योजना- वन्यजीव पर्यावासों का समेकित विकास' के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।
viii. बाघों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अवैध वन्यजीव व्यापार के संबंध में विभिन्न राज्यों में की गई गिरफ्तारियों की जानकारी वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के पास उपलब्ध है, जो **अनुलग्नक** में दी गई है। इसके अलावा, अवैध वन्यजीव व्यापार के संबंध में विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा जब्त की गई संपत्तियों का ब्यौरा मंत्रालय के स्तर पर संकलित नहीं किया जाता है।

*****

अनुलग्नक

"वनस्पति और जीव-जंतुओं के अवैध व्यापार" के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को उत्तर के लिए पूछा गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3293 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के पास यथा उपलब्ध अवैध वन्यजीव व्यापार के संबंध में विभिन्न राज्यों में की गई गिरफ्तारियों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	गिरफ्तार आरोपियों की संख्या		
		2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	12	-	2
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	1
3	असम	38	31	19
4	बिहार	13	5	11
5	छत्तीसगढ	15	19	10
6	दिल्ली	13	8	4
7	गोवा	-	-	3
8	गुजरात	2	15	15
9	हरियाणा	5	1	-
10	हिमाचल प्रदेश	7	3	1
11	जम्मू एवं कश्मीर	-	1	7
12	झारखंड	2	9	5
13	कर्नाटक	8	21	-
14	केरल	20	3	14
15	मध्य प्रदेश	46	40	31
16	महाराष्ट्र	38	18	15
17	मणिपुर	-	5	1
18	मेघालय	4	3	-
19	मिजोरम	-	-	2
20	नगालैंड	-	2	-
21	ओडिशा	25	30	19
22	पंजाब	2	1	-
23	राजस्थान	12	10	7
24	तमिलनाडु	30	40	29
25	तेलंगाना	3	4	1
26	उत्तर प्रदेश	45	22	24
27	उत्तराखंड	4	10	17
28	पश्चिम बंगाल	49	28	38

*****